क्रम-संख्या–205

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०–डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, सोमवार, 22 सितम्बर, 2014

भाद्रपद 31, 1936 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

वित्त विभाग

(नियमावली एवं विधि) प्रकोष्ठ

संख्या वि0वे0नि0(प्रकोष्ठ) 189 / दस–2014–11-2013

लखनऊ, 22 सितम्बर, 2014

अधिसूचना

प्रकीर्ण

सा0प0नि0–65

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग लिपिकीय संवर्ग सेवा में भर्ती और इसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं।

उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग लिपिकीय संवर्ग सेवा नियमावली, 2014

भाग–एक–सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग लिपिकीय संवर्ग सेवा नियमावली, 2014 कही जाएगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

सेवा की प्रास्थिति

2–सरकारी विभाग में लिपिकीय संवर्ग सेवा में समूह "ख" और समूह "ग" के पद समाविष्ट हैं।

नियमावली का लागू होना

3–यह नियमावली, उत्तर प्रदेश सचिवालय, राज्य विधान मण्डल, लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के नियंत्रण और अधीक्षण के अधीन अधीनस्थ न्यायालयों, महाधिवक्ता, उत्तर प्रदेश के कार्यालयों और महाधिवक्ता के नियंत्रणाधीन अधिष्ठानों को छोड़कर, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन राज्यपाल के नियम बनाने की शक्ति के अधीन किसी सरकारी विभाग में लिपिकीय संवर्ग के पदों पर लागू होगी।

अध्यारोही प्रभाव

4–यह नियमावली, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन राज्यपाल द्वारा बनायी गयी किसी अन्य नियमावली या तत्समय प्रवृत्त आदेशों में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी प्रभावी होगी।

परिभाषायें

5–जब तक विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में :–

(क) 'अधिनियम' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 से है;

(ख) 'नियुक्ति प्राधिकारी' का तात्पर्य किसी सरकारी विभाग में, यथा स्थिति, सुसंगत सेवा नियमावली या कार्यकारी अनुदेशों के अधीन लिपिकीय संवर्ग सेवा के किसी पद पर नियुक्ति करने के लिये सशक्त किसी प्राधिकारी से है;

(ग) 'भारत का नागरिक' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाए;

(घ) 'संविधान' का तात्पर्य भारत का संविधान से है;

(ङ) 'सरकार' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है;

(च) 'राज्यपाल' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है;

(छ) 'सेवा का सदस्य' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से है;

(ज) 'नागरिकों के अन्य पिछडे वर्गों' का तात्पर्य समय-समय पर यथासंशोधित अधिनियम की अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछडे वर्गों से है;

(झ) 'सेवा' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग लिपिकीय संवर्ग सेवा से है;

(ञ) 'मौलिक नियुक्ति' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् या आमेलन से की गयी हो और यदि कोई नियम न हो, तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गई हो;

(ठ) 'भर्ती का वर्ष' का तात्पर्य किसी कैलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

भाग-दो–संवर्ग

सेवा का संवर्ग

6–(1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाए।

(2) जब तक कि उप नियम(1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायें, सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी शासनादेश संख्या–वे0आ0–2–2053/दस–54(एम)/2008टी0सी0, दिनांक 08 सितम्बर, 2010, संख्या–वे0आ0–2–401/दस–54(एम)/2008 टी0सी0, दिनांक 18 मार्च, 2011, संख्या–वे0आ0–2–2105/ दस–54(एम)/2008 टी0सी0, दिनांक 22 दिसम्बर, 2011, संख्या–वे0आ0–2–44/दस–54(एम)/2008 टी0सी0, दिनांक 17 जनवरी, 2014 और संख्या–वे0आ0–2–47/दस–54(एम) /2008 टी0सी0, दिनांक 20 जनवरी, 2014 में अन्तर्विष्ट विनिश्चयों के अनुसरण में सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग द्वारा जारी किये गये शासनादेशों में दी गयी है :–

परन्तु यह कि :—

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा; या

(दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों को सृजित कर सकते हैं जैसा वह उचित समझें।

भाग-तीन—भर्ती

भर्ती का स्रोत

7—सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी :—

(1) कनिष्ठ सहायक

(एक) अस्सी प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा;

(दो) पन्द्रह प्रतिशत, मौलिक रूप से नियुक्त समूह 'घ' के कर्मचारियों में से, जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो, और जो समय—समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय समूह "ग" के निम्नतम श्रेणी के पद (पदोन्नति द्वारा भर्ती) नियमावली, 2001 के अनुसार टंकण का ज्ञान रखते हों, पदोन्नति द्वारा।

(तीन) पांच प्रतिशत, मौलिक रूप से नियुक्त समूह "घ" के कर्मचारियों में से जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो, और जो समय—समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय समूह "ग" के निम्नतम् श्रेणी के पद (पदोन्नति द्वारा भर्ती) नियमावली, 2001 के अनुसार टंकण का ज्ञान रखते हों, पदोन्नति द्वारा।

(2) वरिष्ठ सहायक

मौलिक रुप से नियुक्त कनिष्ठ सहायकों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में कम से कम पाँच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

(3) प्रधान सहायक

मौलिक रूप से नियुक्त वरिष्ठ सहायकों में से चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

(4) प्रशासनिक अधिकारी

मौलिक रूप से नियुक्त प्रधान सहायकों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पाँच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा :

परन्तु यह कि यदि पदोन्नति हेतु पर्याप्त संख्या में पात्र व्यक्ति उपलब्ध न हो तो मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे प्रधान सहायकों, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को कनिष्ठ सहायक, वरिष्ठ सहायक और प्रधान सहायक के पदों पर कुल मिलाकर कम से कम दस वर्ष की मौलिक सेवा पूरी कर ली हो, को सम्मिलित करने के लिए नियुक्ति प्राधिकारी अपने से एक स्तर उच्चतर अधिकारी, के अनुमोदन से पात्रता के क्षेत्र का विस्तार कर सकता है।

(5) वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी

मौलिक रूप से नियुक्त प्रशासनिक अधिकारियों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पाँच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा :

परन्तु यह कि यदि पदोन्नति हेतु पर्याप्त संख्या में पात्र व्यक्ति उपलब्ध न हो तो मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे प्रशासनिक अधिकारी जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को कनिष्ठ सहायक, वरिष्ठ सहायक, प्रधान सहायक और प्रशासनिक अधिकारी के पदों पर कुल मिलाकर कम से कम पन्द्रह वर्ष की मौलिक सेवा पूरी कर ली हो, को सम्मिलित करने के लिए नियुक्ति प्राधिकारी अपने से एक स्तर उच्चतर अधिकारी के अनुमोदन से पात्रता के क्षेत्र का विस्तार कर सकता है।

(6) मुख्य प्रशासनिक अधिकारी — मौलिक रूप से नियुक्त वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा :

परन्तु यह कि यदि पदोन्नति हेतु पर्याप्त संख्या में पात्र व्यक्ति उपलब्ध न हो तो मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को कनिष्ठ सहायक, वरिष्ठ सहायक, प्रधान सहायक, प्रशासनिक अधिकारी और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पदों पर कुल मिलाकर कम से कम अठारह वर्ष की मौलिक सेवा पूरी कर ली हों, को सम्मिलित करने के लिए नियुक्ति प्राधिकारी अपने से एक स्तर उच्चतर अधिकारी के अनुमोदन से पात्रता के क्षेत्र का विस्तार कर सकता है।

आरक्षण

8—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण समय-समय पर यथासंशोधित अधिनियम और उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1993 और भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

भाग-चार—अर्हतायें

राष्ट्रीयता

9—सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी :—

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत में आया हो, या

(ग) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केनिया, युगांडा और यूनाइटेड रिपब्लिक आफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीवार) से प्रव्रजन किया हो:

परन्तु यह कि उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो :

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायगी कि वह पुलिस उपमहानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लें :

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी : ऐसे अभ्यर्थी को, जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो किन्तु जिसे न तो जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण-पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाये।

शैक्षिक अर्हता

10—सेवा में कनिष्ठ सहायक के पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की निम्नलिखित अर्हताएं होनी आवश्यक है :—

(एक) माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश की इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण कर ली हो।

(दो) हिन्दी और अंग्रेजी टंकण में क्रमशः 25 शब्द प्रति मिनट और 30 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति होना आवश्यक है।

(तीन) डी0ओ0ई0ए0सी0सी0 सोसाइटी द्वारा प्रदान किया गया कम्प्यूटर प्रचालन में सी0सी0सी0 प्रमाण-पत्र या किसी सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था द्वारा उसके समकक्ष प्रदान किया गया कोई प्रमाण-पत्र।

अधिमानी अर्हता

11-अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा जिसने-

(एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 02 वर्ष की अवधि तक की सेवा की हो, या

(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।

आयु

12-सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेण्डर वर्ष की, जिसमें सीधी भर्ती के लिये रिक्तियां प्रकाशित की जायें, पहली जुलाई को क्रमशः 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो :

परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाय, अभ्यर्थियों की दशा में, उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

चरित्र

13-सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिये कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणी :-संघ सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकरण या किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिये दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

वैवाहिक प्रास्थिति

14-सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नियां हो या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक जीवित पत्नी हो :

परन्तु यह कि सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका यह समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिये विशेष कारण विद्यमान हैं।

शारीरिक स्वस्थता

15-किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से युक्त न हो, जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी की नियुक्ति के लिये अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह फाइनेन्शियल हैण्डबुक, खण्ड-दो, भाग-तीन के अध्याय-तीन में दिये गये फण्डामेन्टल रूल, 10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करे :

परन्तु यह कि पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गये किसी अभ्यर्थी से स्वस्थता प्रमाण-पत्र की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

भाग-पांच-भर्ती की प्रक्रिया

रिक्तियों का अवधारण

16-नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती के वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या के साथ-साथ नियम-8 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा। सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियां निम्नानुसार अधिसूचित की जायेंगी :-

(एक) व्यापक प्रसार वाले दैनिक समाचार-पत्र में विज्ञापन जारी करके;

(दो) कार्यालय के सूचना पट पर सूचना चिपका करके या रेडियो/दूरदर्शन और अन्य रोजगार समाचार-पत्रों के माध्यम से विज्ञापन के द्वारा;

(तीन) रोजगार कार्यालय को रिक्तियां अधिसूचित करके।

कनिष्ठ सहायक के पद हेतु सीधी भर्ती की प्रक्रिया

17-सेवा में कनिष्ठ सहायक के पद पर सीधी भर्ती समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश (उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) समूह 'ग' के पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया नियमावली, 2002 के उपबंधों के अनुसार की जायेगी।

कनिष्ठ सहायक के पद हेतु पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया

18-सेवा में कनिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय समूह 'ग' के निम्नतम श्रेणी के पद (पदोन्नति द्वारा भर्ती) नियमावली, 2001 के उपबंधों के अनुसार की जायेगी।

वरिष्ठ सहायक, प्रधान सहायक, प्रशासनिक अधिकारी, ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के पद हेतु पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया

19–(1) सेवा में वरिष्ठ सहायक, प्रधान सहायक, प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती समय–समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिए मानदण्ड नियमावली, 1994 में दिये गये मानदण्डों के आधार पर की जायेगी। उत्तर प्रदेश विभागीय पदोन्नति समिति का गठन लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों के लिए नियमावली, 1992 में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी चयन समिति निम्नानुसार गठित की जायेगी :–

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी	अध्यक्ष
(दो) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नामनिर्दिष्ट दो राजपत्रित अधिकारी, जो उस पद की पर्यवेक्षकीय हैसियत रखते हों जिसके लिये चयन किया जाना है।	सदस्य

टिप्पणी– चयन समिति में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के अधिकारियों को प्रतिनिधित्व देने के लिये नाम निर्देशन, समय–समय पर यथासंशोधित अधिनियम की धारा 7 के अधीन किये गये आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी, समय–समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) चयनोन्नति पात्रता सूची नियमावली, 1986 के अनुसार अभ्यर्थियों की पात्रता सूचियां तैयार करेगा और उसे उसकी चरित्र पंजियों और उनसे सम्बन्धित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ, जो उचित समझे जाय, चयन समिति के समक्ष रखेगा।

(3) चयन समिति उपनियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी और यदि वह आवश्यक समझें तो अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है।

(4) चयन समिति चयन किये गये अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता कम में जैसी उस संवर्ग में हो, जिससे उसकी पदोन्नति की जानी है, एक सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

संयुक्त चयन सूची

20–यदि भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियाँ सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों द्वारा की जाय तो एक संयुक्त चयन सूची तैयार की जायेगी जिसमें अभ्यर्थियों के नाम सुसंगत सूचियों से इस रीति से लेकर रखे जायेंगे कि विहित प्रतिशत बना रहे। सूची में पहला नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति का होगा।

भाग-छः–नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

नियुक्ति

21–(1) उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उसी कम में लेकर, जिसमें वे यथास्थिति, नियम 17, 18, 19 या 20 के अधीन तैयार की गयी सूची में आये हों, नियुक्तियाँ करेगा।

(2) जहां भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियाँ सीधी भर्ती और पदोन्नति द्वारा की जानी हो तो वहाँ नियमित नियुक्ति तब तक नहीं की जायेगी जब तक दोनों स्रोतों से चयन न कर लिया जाय और नियम 20 के अनुसार एक संयुक्त चयन सूची तैयार न कर ली जाय।

(3) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जाय तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा, जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख, उसी ज्येष्ठता के कम में किया जायेगा जैसी यथास्थिति ,चयन में अवधारित किया गया हो, या जैसा कि उस संवर्ग में हो जिसमें से उन्हें पदोन्नत किया गया हो। यदि नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों द्वारा की जाय तो नामों को नियम 20 में निर्दिष्ट क्रम के अनुसार रखा जायेगा।

परिवीक्षा

22–(1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रुप से नियुक्त किये जाने पर किसी व्यक्ति को उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक परिवीक्षा नियमावली, 2013 के अनुसार परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्त प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या सन्तोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसे उसके मौलिक पद पर यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।

(3) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उपनियम (2) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त की जाय किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(4) नियुक्ति प्राधिकारी सेवा के संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप से की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।

स्थायीकरण

23–(1) उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा, यदि–

(क) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया जाय,

(ख) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय, और

(ग) नियुक्ति प्राधिकारी का यह सामाधान हो जाय कि वह स्थायी किये जाने के लिये अन्यथा उपयुक्त है।

(2) जहाँ उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 1991 के उपबन्धों के अनुसार स्थायीकरण आवश्यक नहीं है वहां उस नियमावली के नियम 5 के उपनियम (3) के अधीन यह घोषणा करते हुए आदेश को कि सम्बन्धित व्यक्ति ने परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, स्थायीकरण का आदेश समझा जायेगा।

ज्येष्ठता

24–सेवा में किसी श्रेणी के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय–समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित की जायेगी।

भाग-सात–वेतन इत्यादि

वेतनमान

25–(1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय के वेतनमान नीचे दिये गये हैं :–

पद का नाम	वेतनमान	
	वेतन बैण्ड	ग्रेड वेतन
कनिष्ठ सहायक	वेतन बैण्ड–1, रु0 5200–20200	रु0 2000
वरिष्ठ सहायक	वेतन बैण्ड–1, रु0 5200–20200	रु0 2800
प्रधान सहायक	वेतन बैण्ड–2, रु0 9300–34800	रु0 4200
प्रशासनिक अधिकारी	वेतन बैण्ड–2, रु0 9300–34800	रु0 4600
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	वेतन बैण्ड–2, रु0 9300–34800	रु0 4800
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	वेतन बैण्ड–3, रु0 15600–39100	रु0 5400

परिवीक्षा अवधि में वेतन

26–(1) फण्डामेन्टल रुल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतन वृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, जहाँ विहित हो विभागीय परीक्षा, उत्तीर्ण कर ली हो और प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो और द्वितीय वेतन वृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् तभी दी जायेगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो :

परन्तु यह कि यदि सन्तोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतन वृद्धि के लिये नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दे।

(2) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन सुसंगत फण्डामेन्टल रूल्स द्वारा विनियमित होगा :

परन्तु यह कि यदि सन्तोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतन वृद्धि के लिये नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दे।

(3) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

भाग-आठ–अन्य उपबन्ध

पक्ष समर्थन

27–किसी पद पर या सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किन्हीं सिफारिशों पर, चाहे लिखित हो या मौखिक, विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्त के लिये अनर्ह कर देगा।

अन्य विषयों का विनियमन

28–ऐसे विषयों के सम्बन्ध में, जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा शासित होंगे।

सेवा की शर्तों में शिथिलता

29–जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाये कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में असम्यक् कठिनाई होती है वहां उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुये भी, आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये जिन्हें वह मामले में न्याय संगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिये आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है।

व्यावृत्ति

30–इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण व अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिये उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।

आज्ञा से,
अजय अग्रवाल,
सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 189/X-2014-11-2013, dated September 22, 2014:

No. 189/X-2014-11-2013

Dated Lucknow, September 22, 2014

IN exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution and in supersession of all existing rules and orders on the subject, the Governor is pleased to make the following rules regulating recruitment and the conditions of service of persons appointed to the Uttar Pradesh Government Department Ministerial Cadre Service :

THE UTTAR PRADESH GOVERNMENT DEPARTMENT MINISTERIAL CADRE SERVICE RULES, 2014

PART-I-GENERAL

Short title and Commencement

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Government Department Ministerial Cadre Service Rules, 2014.

(2) They shall come into force at once.

Status of the Service

2. The Ministerial Cadre Service in a Government Department comprises Group 'B' and Group 'C' posts.

Application of these rules

3. These rules shall apply to the posts of Ministerial Cadre in a Government Department under the rule making power of the Governor under the proviso to Article 309 of the Constitution excluding the Uttar Pradesh Secretariat, of the offices of the State Legislature, Lok Ayukta, Uttar Pradesh, Public Service Commission, Uttar Pradesh, High Court, the Subordinate Courts under the control and superintendence of the High Court, the Advocate General, Uttar Pradesh and of the establishments under the control of Advocate General.

Overriding effect

4. These rules shall have effect notwithstanding anything to the contrary contained in any other rules made by the Governor under the proviso to Article 309 of the Constitution, or orders, for the time being in force.

Definitions

5. In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context :

(a) 'Act' means the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994;

(b) 'appointing authority' means an authority empowered to make appointment to a post of the Ministerial Cadre Service in a Government Department under relevant service rules or executive instructions, as the case may be;

(c) 'citizen of India' means a person who is or is deemed to be a citizen of India under Part II of the Constitution;

(d) 'Constitution' means the Constitution of India;

(e) 'Government' means the State Government of Uttar Pradesh;

(f) 'Governor' means the Governor of Uttar Pradesh;

(g) 'member of the service' means a person substantively appointed under these rules or the rules or orders in force prior to the commencement of these rules to a post in the cadre of the Service;

(h) 'other backward classes of citizens' means the backward classes of citizens specified in Schedule I of the Act, as amended from time to time;

(i) 'service' means the Uttar Pradesh Government Department Ministerial Cadre Service;

(j) 'substantive appointment' means an appointment, not being an *adhoc* appointment, on a post in the cadre of the service, made after selection in accordance with the rules and, if there were no rules, in accordance with the procedure prescribed for the time being by executive instructions issued by the Government;

(k) 'year of recruitment' means a period of twelve months commencing on the first day of July of a calendar year.

PART-II-CADRE

Cadre of service

6. (1) The strength of the service and of each category of posts therein in a Government Department shall be such as may be determined by the Government from time to time.

(2) The strength of the service and of each category of posts therein in a Government Department shall, until orders varying the same are passed under sub-rule (1), be as given in the Government Orders issued by the concerned Administrative Department in accordance with the decisions contained in the Government Orders no. Va. Aa-2- 2053/Ten-54 (M)-2008 T.C, dated September 08, 2010, no.Va. Aa-2-401/Ten-54(M)-2008T.C, dated March 18, 2011 no. Va.Aa-2-2105/Ten-54 (M)-2008 T.C, dated December 22, 2011,no.Va.Aa.-2-44/Ten -54(M)-2008 T.C., dated January 17,2014 and no.Va.Aa.-2-47/Ten-54(M)-2008 T.C., dated January 20,2014:

Provided that:-

(i) the appointing authority may leave unfilled or the Governor may hold in abeyance any vacant post, without thereby entitling any person to compensation; or

(ii) the Governor may create such additional permanent or temporary posts as he may consider proper.

D:\Vitt\33\ RPH Niyamawali- Vitt-Lipik-14.doc

PART-III-RECRUITMENT

Source of recruitment

7. Recruitment to the various categories of posts in the service shall be made from the following sources:

(1) Junior Assistant

(i) Eighty percent by direct recruitment.

(ii) Fifteen percent by promotion from amongst substantively appointed Group 'D' employees who have passed the High School Examination of the Board of High School and Intermediate Education, Uttar Pradesh or an Examination recognised by the Government as equivalent thereto and who possess the knowledge of typewriting, in accordance with the Uttar Pradesh Subordinate Offices Ministerial Group 'C' Posts of the Lowest Grade (Recruitment by Promotion) Rules, 2001, as amended from time to time.

(iii) Five percent by promotion from amongst substantively appointed Group 'D' employees who have passed the Intermediate Examination of the Board of High School and Intermediate Education, Uttar Pradesh or an Examination recognised by the Government as equivalent thereto and who possess the knowledge of typewriting, in accordance with the Uttar Pradesh Subordinate Offices Ministerial Group 'C' Posts of the Lowest Grade (Recruitment by Promotion) Rules, 2001, as amended from time to time.

(2) Senior Assistant

By promotion through the Selection Committee from amongst substantively appointed Junior Assistants who have completed at least five years service as such on the first day of the year of recruitment.

(3) Head Assistant

By promotion through the Selection Committee from amongst substantively appointed Senior Assistants.

(4) Administrative Officer

By promotion through the Selection Committee from amongst substantively appointed Head Assistants who have completed five years service as such on the first day of the year of recruitment:

Provided that if sufficient number of eligible persons are not available for promotion, the appointing authority may, with the approval of the officer one level higher to him, extend the field of eligibility to include such substantively appointed. Head Assistant who, taken together, have completed at least ten years substantive service on the post of Junior Assistant, Senior Assistant and Head Assistant on the first day of the year of recruitment.

(5) Senior Administrative Officer

By promotion through the Selection Committee from amongst substantively appointed Administrative Officers, who have completed at least five years service as such on the first day of the year of recruitment:

Provided that if sufficient number of eligible persons are not available for promotion, the appointing authority may, with the approval of the officer one level higher to him, extend the field of eligibility to include such substantively appointed Administrative Officers who, taken together, have completed at least fifteen years substantive service on the posts of Junior Assistant, Senior Assistant, Head Assistant and Administrative Officer on the first day of the year of recruitment.

(6) Chief Administrative Officer

By promotion through the Selection Committee from amongst substantively appointed Senior Administrative Officers who have completed three years service as such on the first day of the year of recruitment:

Provided that if sufficient number of eligible persons are not available for promotion, the appointing authority may, with the approval of the officer one level higher to him, extend the field of eligibility to include such substantively appointed Senior Administrative Officers, who taken together, have completed at least eighteen year substantive service on the posts of Junior Assistant, Senior Assistant, Head Assistant, Administrative Officer and Senior Administrative Officer on the first day of the year of recruitment.

8. Reservation for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories shall be in accordance with the Act, and the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Physically Handicapped, Dependents of Freedom Fighters and Ex- Servicemen) Act, 1993, as amended from time to time, and the orders of the Government in force at the time of the recruitment. Reservation

PART-IV-QUALIFICATIONS

9. A candidate for direct recruitment to a post in the service must be: Nationality

(a) a citizen of India; or

(b) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st January, 1962 with the intention of permanently settling in India; or

(c) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka or any of the East African countries of Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar) with the intention of permanently settling in India:

Provided that a candidate belonging to category (b) or (c) above must be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the State Government :

Provided further that a candidate belonging to category (b) will also be required to obtain a certificate of eligibility granted by the Deputy Inspector General of Police, Intelligence Branch, Uttar Pradesh :

Provided also that if a candidate belongs to category (c) above, no certificate of eligibility will be issued for a period of more than one year and the retention of such a candidate in service beyond a period of one year, shall be subject to his acquiring Indian citizenship.

NOTE–A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary but the same has neither been issued nor refusd, may be admitted to an examination or interview and he may also be provisionally appointed subject to the necessary certificate being obtaind by him or issued in his favour.

10. A candidate for direct recruitment to the post of Junior Assistant in the Service must possess the following qualifications: Academic qualification

(i) Must have passed the Intermediate Examination of the Board of High School and Intermediate Education, Uttar Pradesh or an Examination recognised by the Government as equivalent thereto.

(ii) Must possess a minimum speed of twenty five words per minute and thirty words per minute in Hindi Typewriting and English Typewriting respectively.

(iii) 'CCC' certificate in Computer Operation awarded by the DOEACC Society or a certificate equivalent thereto awarded by an Institution recognised by the Government.

11. A candidate who has : Preferential qualification

(i) served in the Territorial Army for a minimum period of two years, or

(ii) obtained a 'B' certificate of National Cadet Corps, shall, other things being equal, be given preference in the matter of direct recruitment.

12. A candidate for direct recruitment must have attained the age of eighteen years and must not have attained the age of more than forty years on the first day of July of the calendar year in which vacancies for direct recruitment are advertised : Age

Provided that the upper age limit in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and such other categories as may be notified by the Government from time to time shall be greater by such number of years as may be specified.

Character

13. The character of a candidate for direct recruitment to a post in the service must be such as to render him suitable in all respects for employment in Government Service. The appointing authority shall satisfy itself on this point.

NOTE - Persons dismissed by the Union Government or a State Government or by a Local Authority or a Corporation or Body owned or controlled by the Union Government or a State Government shall be ineligible for appointment to any post in the service. Persons convicted of an offence involving moral turpitude shall also be ineligible.

Marital Status

14. A male candidate who has more than one wife living or a female candidate who has married a man already having a wife living shall not be eligible for appointment to a post in the service:

Provided that the Government may, if satisfied that there exist special grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

Physical fitness

15. No candidate shall be appointed to a post in the service unless he be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of his duties. Before a candidate is finally approved for appointment he shall be required to produce a Medical Certificate of fitness in accordance with the rules framed under Fundamental rule 10, contained in chapter III of the Financial Hand - Book, Volume II, Part-III:

Provided that a medical certificate of fitness shall not be required from a candidate recruited by promotion.

PART-V- PROCEDURE FOR RECRUITMENT

Determination of vacancies

16. The appointing authority shall determine the number of vacancies to be filled during the course of the year of recruitment as also the number of vacancies to be reserved for candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories under rule 8. The vacancies to be filled by direct recruitment shall be notified in the following manner:

(i) by issuing advertisement in daily newspaper having wide circulation;

(ii) by pasting the notice on the notice board of the office or by advertising through Radio/Television and other employment news papers; and

(iii) by notifying vacancies to the Employment Exchange.

Procedure for direct recruitment for the posts of Junior Assistant

17. Direct recruitment to the post of Junior Assistant in the Service shall be made in accordance with the provisions of the Uttar Pradesh Procedure for Direct Recruitment for Group 'C' Posts (Outside the Purview of the Uttar Pradesh Public Service Commission) Rules, 2002, as amended from time to time.

Procedure for recruitment by promotion for the posts of Junior Assistant

18. Recruitment by promotion to the posts of Junior Assistant in the service shall be made in accordance with the provisions of the Uttar Pradesh Subordinate Offices Ministerial Group 'C' Posts of the Lowest Grade (Recruitment by Promotion) Rules, 2001, as amended from time to time.

Procedure for recruitment by promotion for the posts of Senior Assistant, Head Assistant, Administrative Officer, Senior Administrative Officer and Chief Administrative Officer

19. (1) Recruitment by promotion to the posts of Senior Assistant, Head Assistant, Administrative Officer, Senior Administrative Officer and Chief Administrative Officer in the service shall be made on the basis of the criterion laid down in the Uttar Pradesh Government Servants Criterion for Recruitment by Promotion Rules, 1994, as amended from time to time. Notwithstanding anything to the contrary contained in The Uttar Pradesh Constitution of Departmental Promotion Committee for Posts Outside the Purview of the Service Commission Rules, 1992, the Selection Committee shall be constituted as under:-

(i) Appointing Authority	*Chairman*
(ii) Two gazetted officers nominated by the Appointing Authority, having supervisory capacity of the post for which selection is made	*Members*

NOTE.– Nomination of officers for giving representation to the Scheduled Castes / Scheduled Tribes and Other Backward Classes of Citizens in the Selection Committee shall be made in accordance with the order made under section 7 of the Act, as amended from time to time.

(2) The appointing authority shall prepare eligibility list of the candidates in accordance with the Uttar Pradesh Promotion by Selection (on posts outside the purview of the Public Service Commission) Eligibility List Rules, 1986, as amended form time to time, and place the same before the Selection Committee alongwith their character rolls and such other records, pertaining to them, as may be considered proper.

(3) The Selection Committee shall consider the cases of candidates on the basis of records, referred to in sub- rule (2) and, if it considers necessary, it may interview the candidates also.

(4) The Selection Committee shall prepare a list of selected candidates in order of seniority as it stood in the cadre from which they are to be promoted and forward the same to the appointing authority.

Combined select list

20. If in any year of recruitment appointments are made both by direct recruitment and by promotion, a combined select list shall be prepared by taking the names of the candidates from the relevant lists, in such manner that the prescribed percentage is maintained, the first name in the list being of the person appointed by promotion.

PART- VI - APPOINTMENT, PROBATION, CONFIRMATION AND SENIORITY

Appointment

21. (1) Subject to the provisions of sub-rule (2) the appointing authority shall make appointment by taking the names of candidates in the order in which they stand in the lists prepared under rules 17, 18, 19, or 20, as the case may be.

(2) Where, in any year of recruitment, appointments are to be made both by direct recruitment and by promotion, regular appointments shall not be made unless selections are made from both the sources and a combined list is prepared in accordance with rule 20.

(3) If more than one order of appointment are issued in respect of any one selection, a combined order shall also be issued, mentioning the names of the persons in order of seniority as determined in the selection or, as the case may be, as it stood in the cadre from which they are promoted. If the appointments are made both by direct recruitment and by the promotion, name shall be arranged in accordance with the order, referred to in rule 20.

Probation

22. (1) A person on substantive appointment to a post in the service shall be placed on probation in accordance with the Uttar Pradesh Government Servants Probation Rules, 2013.

(2) If it appears to the appointing authority at any time during or at the end of the period of probation or extended period of probation that a probationer has not made sufficient use of his opportunities or has otherwise failed to give satisfaction, he may be reverted to his substantive post, if any, and if he does not hold a lien on any post, his services may be dispensed with.

(3) A probationer who is reverted or whose service are dispensed with under sub-rule (2) shall not be entitled to any compensation.

(4) The appointing authority may allow continuous service, rendered in an officiating or temporary capacity in a post included in the cadre or any other equivalent or higher post, to be taken into account for the purpose of computing the period of probation.

Confirmation

23. (1) Subject to the provisions of sub-rule(2), a probationer shall be confirmed in his appointment at the end of the period of probation or the extended period of probation if-

(a) his work and conduct is reported to be satisfactory,

(b) his integrity is certified, and

(c) the appointing authority is satisfied that he is otherwise fit for confirmation.

(2) Where, in accordance with the provisions of the Uttar Pradesh State Government Servants Confirmation Rules, 1991 confirmation is not necessary, the order under sub-rule(3) of rule 5 of those rules declaring that the person concerned has successfully completed the probation, shall be deemed to be the order of confirmation.

Seniority

24. The seniority of persons substantively appointed in any category of posts in the service shall be determined in accordance with the Uttar Pradesh Government Servants Seniority Rules, 1991, as amended from time to time.

PART-VII-PAY ETC.

Scales of pay

25. (1) The scales of pay admissible to persons appointed to the various categories of posts in the service shall be such as may be determined by the Government from time to time.

(2) The scales of pay at the time of the commencement of these rules are given as follows:

Name of post	Scale of pay	
	Pay Band	Grade Pay
Junior Assistant	Pay Band-1, Rs. 5200-20200	Rs. 2000
Senior Assistant	Pay Band-1, Rs. 5200-20200	Rs. 2800
Head Assistant	Pay Band-2, Rs. 9300-34800	Rs. 4200
Administrative Officer	Pay Band-2, Rs. 9300-34800	Rs. 4600
Senior Administrative Officer	Pay Band-2, Rs. 9300-34800	Rs. 4800
Chief Administrative Officer	Pay Band-3, Rs. 15600-39100	Rs. 5400

Pay during probation

26. (1) Notwithstanding any provision in the Fundamental Rules to the contrary, a person on probation, if he is not already in permanent Government service, shall be allowed his first increment in the time-scale when he has completed one year of satisfactory service, has passed departmental examination and undergone training, where prescribed, and second increment after two years service when he has completed the probationary period and is also confirmed:

Provided that, if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction, such extension shall not count for increment unless the appointing authority directs otherwise.

(2) The pay during probation of a person who was already holding a post under the Government, shall be regulated by the relevant fundamental rules:

Provided that, if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction, such extension shall not count for increment unless the appointing authority directs otherwise.

(3) The pay during probation of a person already in permanent Government service shall be regulated by the relevant rules, applicable generally to Government servants serving in connection with the affairs of the State.

PART - VIII OTHER PROVISIONS

Canvassing

27. No recommendations, either written or oral, other than those required under the rules applicable to the post or service will be taken into consideration. Any attempt on the part of a candidate to enlist support directly or indirectly for his candidature will disqualify him for appointment.

Regulation of other matters

28. In regard to the matters not specifically covered by these rules or special orders, persons appointed to the service shall be governed by the rules, regulations and orders applicable generally to Government servants serving in connection with the affairs of the State.

Relaxation from the conditions of service

29. Where the State Government is satisfied that the operation of any rule regulating the conditions of service of persons appointed to the service causes undue hardship in any particular case, it may, notwithstanding anything contained in the rules applicable to the case, by order, dispense with or relax the requirements of that rule to such extent and subject to such conditions as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner.

Savings

30. Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders of the Government issued from time to time in this regard.

By order,
AJAY AGRAWAL,
Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 330 राजपत्र (हि0)–(860)–599 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी0 / आफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 44 सा0 वित्त–(861)–6000 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी0 / आफसेट)।

\\Data2\d\Vitt\330 RPH Niyamawali- Vitt-Lipik-14.doc